कार्यालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं (राज.)

क्रमांकः 597 दिनांकः 28/5/24

– कार्यालय आदेश –

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 562 दिनांक 27.05.2024 द्वारा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता परिनिश्चित की जाकर पुलिस थाना मेहाड़ा में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण) की सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी को परिदत्त किए जाने पर मैं विपिन बिश्नोई, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 352 दिनांक 18.03.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए पुलिस थाना मेहाड़ा व पुलिस थाना सिंघाना में उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरणों के धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं मृत्युकालीन बयान (डाईंग डिक्लेरेशन) लेखबद्ध करने हेतु निम्नानुसार कॉलम संख्या 02 में वर्णित थानों/आरक्षी केन्द्रों से संबंधित धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं मृत्युकालीन बयान (डाईंग डिक्लेरेशन) लेखबद्ध करने तथा धारा 52 ए स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थो अधिनियम, 1985 के तहत इन्वेन्ट्री की कार्यवाही करने हेतु कॉलम संख्या 03 में वर्णित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी को अधिकृत करता हूं:-

क्र.सं.	पुलिस थाना/आरक्षी केन्द्र का नाम	धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं मृत्युकालीन बयान (डाईंग डिक्लेरेशन) लेखबद्ध करने एवं धारा 52 ए एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत इन्वेन्ट्री की कार्यवाही हेतु अधिकृत न्यायालय
01	पुलिस थाना मेहाड़ा	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी
02	पुलिस थाना सिंघाना	न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी

शर्त:

1. कॉलम संख्या 03 में वर्णित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी के अवकाश/अनुपस्थित होने अथवा पद रिक्त होने पर उनके अधिकृत न्यायालय के पश्चातवर्ती लिंक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को अधिकृत किया जाता है। यदि कॉलम संख्या 02 में अंकित थाने की सुनवाई का क्षेत्राधिकार उस पश्चातवर्ती लिंक न्यायालय को है तो उक्त सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय के पश्चातवर्ती न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को अधिकृत किया जाता है।
2. उक्त व्यवस्था के उपरांत भी कोई विशेष असुविधा या कठिनाई आने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं को प्रार्थना की जाकर विशेष समुचित आदेश प्राप्त किए जा सकेंगे।
3. अन्य पुलिस थानों हेतु पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 352 दिनांक 18.03.2024 प्रभावी रहेगा।

-sd-

(विपिन बिश्नोई)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं (राज.)

क्रमांकः 624 दिनांकः 28/5/24

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित हैः-

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झुंझुनूं
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं/नीमकाथाना (समस्त पुलिस उपाधीक्षकों एवं थानाधिकारियों को सूचित करने बाबत)
3. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं/खेतड़ी/पिलानी/उदयपुरवाटी/नवलगढ़
4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं/खेतड़ी/पिलानी/उदयपुरवाटी/बुहाना/चिड़ावा/सूरजगढ़
5. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, नवलगढ़
6. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं
7. अभिभाषक संघ, झुंझुनूं/खेतड़ी/पिलानी/उदयपुरवाटी/बुहाना/चिड़ावा/सूरजगढ़/नवलगढ़
8. सहायक निदेशक अभियोजन, झुंझुनूं
9. सिस्टम ऑफिसर, ऑफिशियल वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(विपिन बिश्नोई)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं (राज.)